प्रकाशन हेतु अनुदेशित

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय, बिलासपुर**

**न्यायपीठ : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश**

**माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश**

**दांडिक अपील क्रमांक/ 759 / 1995**

1. अनिल प्रसाद, उम्र 28 वर्ष, पिता जागो महतो,
   निवासी बरही, थाना एवं जिला हज़ारीबाग,
   बिहार (वर्तमान झारखण्ड)
2. तिलेश्वर प्रसाद, उम्र 28 वर्ष, पिता गोवेर्धन महतो,
   निवासी बोगा, थाना एवं जिला हज़ारीबाग,
   बिहार (वर्तमान झारखण्ड) ..... अपीलार्थीगण

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य
(वर्त्तमान छ.ग. राज्य) ..... प्रत्यर्थी

(द. प्र. स. की धारा 374(2) के तहत अपील)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---

अपीलार्थीगण की ओर से :श्री अरुण कोचर , अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री जे.ए. लोहानी , पैनल अधिवक्ता

---

**निर्णय**

**(27-07-2012)**

न्यायलय का निम्नलिखित निर्णय, **माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश,** द्वारा उद्घोषित किया गया

1. यह अपील दिनांक 27 अप्रैल, 1995 को सत्र प्रकरण क्रमांक 92/1994 में पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

उक्त निर्णय द्वारा अपीलार्थियों को निम्न प्रकार से दोषसिद्ध किया गया तथा यह निर्देश दिया गया कि समस्त सजाएँ साथ-साथ चलेंगी:-

| **दोषसिद्धी** | **दंडादेश** |
|---|---|
| <u>अपीलार्थी क्रमांक 1 (अनिल प्रसाद - अ-1):</u> | |
| धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता | आजीवन कारावास |
| धारा 307 भारतीय दंड संहिता | 5 वर्ष का सश्रम कारावास |
| धारा 324 भारतीय दंड संहिता | 2 वर्ष का सश्रम कारावास |
| <u>अपीलार्थी क्रमांक 2 (तिलेश्वर प्रसाद - अ-2):</u> | |
| धारा 302 भारतीय दंड संहिता | आजीवन कारावास |
| धारा 307/34 भारतीय दंड संहिता | 5 वर्ष का सश्रम कारावास |
| धारा 324 भारतीय दंड संहिता | 2 वर्ष का सश्रम कारावास |

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संक्षेप में अभियोजन के तथ्य इस प्रकार हैं:-

पाँच अभियुक्तों (अ-1 से अ-5) में से, अ-4 को छोड़कर शेष सभी पर धारा 396 एवं 307-307 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत डकैती करने तथा मृतक एलेक्ज़ेंडर मुंडा की हत्या करने एवं मोहम्मद यूसुफ अंसारी (अ.स.-2) एवं एन्थ्रेक्स मुंडा (अ.स.-7) की हत्या का प्रयास करने का आरोप था। मृतक तथा पीड़ित 'कोरबा सर्विस सेंटर' नामक पेट्रोल पंप के कर्मचारी थे। दिनांक 24.09.1993 को लगभग रात्रि 8:00 बजे अभियुक्तगण (अ-1 से अ-3 एवं अ-5) तथा फरार अभियुक्त छोटेलाल वहाँ आए और एन्थ्रेक्स मुंडा (अ.स.-7) से ₹500/- लूट लिए। उनके पास चाकू थे। उन्होंने एन्थ्रेक्स मुंडा (अ.स.-7) को चाकू से चोटें पहुँचाईं। मुख्य भूमिका निभाने वाले दो व्यक्ति अ-1 एवं अ-2 (वर्तमान अपीलार्थी) थे। ₹500/- लूटने के पश्चात अ-2 पेट्रोल पंप के शो-रूम के अंदर केबिन में गया और मृतक एलेक्ज़ेंडर मुंडा को चाकू से वार किया। जब एलेक्ज़ेंडर (मृतक) ने शोर मचाया, तो यूसुफ अंसारी (अ.स.-2) भी वहाँ पहुँचे। अ-1 ने यूसुफ अंसारी पर चाकू से वार किया तथा आलमारी की दराज़ में रखी समस्त नकद राशि लूट ली और तत्पश्चात वे पेट्रोल पंप से भाग गए। एन्थ्रेक्स मुंडा (अ.स.-7) ने घटना के 20 मिनट के भीतर, अर्थात् रात्रि 8:20 बजे प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी.6) दर्ज कराया।

एन्थ्रेक्स (अ.स.-7), यूसुफ (अ.स.-2) एवं एलेक्ज़ेंडर (मृतक) को चिकित्सीय परीक्षण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बांकीमोंगरा भेजा गया। डॉ. आर.एस. कंवर (अ.स.-11) ने एन्थ्रेक्स मुंडा (अ.स.-7) का परीक्षण किया और निम्नलिखित चोटें पाईं:-

(i) दाहिनी कोहनी पर 1 x ½ x ½ इंच का कटा हुआ घाव;

(ii) दाहिनी कोहनी से 2 इंच ऊपर 1 x ½ x ¼ इंच का कटा हुआ घाव; तथा

(iii) छाती के निप्पल पर 1 x ¼ x ¼ इंच का चीरा घाव।

ये चोटें धारदार एवं कठोर वस्तु से कारित की गई थीं। उनकी एम.एल.सी. प्रतिवेदन प्रदर्श पी.9 है।

डॉ. डी.के. श्रीवास्तव (अ.स.-6) ने मोहम्मद यूसुफ अंसारी (अ.स.-2) का परीक्षण किया और उनके शरीर पर निम्नलिखित चोट पाई:-

(i) बाईं जांघ पर 2½ x 1 सेमी का कटा हुआ घाव। यह चोट कठोर एवं धारदार वस्तु से कारित की गई थी तथा साधारण प्रकृति की थी। उनकी एम.एल.सी. प्रतिवेदन प्रदर्श पी.5 है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

डॉ. डी.के. श्रीवास्तव (अ.स.-6) ने मृतक एलेक्ज़ेंडर मुंडा का भी परीक्षण किया और उन्हें मृत घोषित किया। उनकी मृत्यु की सूचना संबंधित थाना को भेजी गई और मर्ग सूचना दर्ज की गई। मृतक एलेक्ज़ेंडर मुंडा के शव का परीक्षण (पोस्टमार्टम) डॉ. सुरजीत सिंह (अ.स.-8) द्वारा किया गया। उन्होंने उदर के बाएँ भाग पर 3 x 2 सेमी का, लगभग 10 सेमी गहरा चाकू का घाव पाया। अत्यधिक रक्तस्राव हुआ था और लगभग 3 लीटर रक्त उदर गुहा में संचित पाया गया। प्लीहा पर भी चाकू का घाव था। उन्होंने अभिमत व्यक्त किया कि मृत्यु का कारण उक्त उदर एवं प्लीहा पर लगे चाकू के घाव के परिणामस्वरूप हुए अत्यधिक आंतरिक रक्तस्राव से उत्पन्न सदमा था, तथा मृत्यु हत्या स्वरूप मानव वध प्रकृति की थी। शव परिक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी.8 है।

अभियुक्तों (अ-1 से अ-5) को गिरफ्तार किया गया और दिनांक 20.10.1993 को उनकी पहचान परेड कराई गई। पहचान परेड कार्यपालक मजिस्ट्रेट अनुजराम धीर (अ.स.-17) द्वारा संपन्न कराई गई। उक्त पहचान परेड में एन्थ्रेक्स मुंडा (अ.स.-7) ने अ-1, अ-2 एवं अ-3 की पहचान की; यूसुफ अंसारी (अ.स.-2) ने अ-2 एवं अ-5 की

पहचान की; तथा एक अन्य चक्षुदर्शी गेब्रियल (अ.स.-1) ने अ-1 एवं अ-2 को पहचाना। पहचान परेड की कार्यवाही प्रदर्श पी.1 है।

आगे की विवेचना में अभियुक्तों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत उनके प्रकटीकरण कथन दर्ज किए गए तथा उनके कथनों के आधार पर विभिन्न वस्तुओं की बरामदगी की गई। अ-2 के प्रकटीकरण कथन पर उससे एक चाकू बरामद किया गया। अ-3 के कथन पर उसके पास से ₹5,000/- बरामद किए गए। अ-5, के कथन पर उसके पास से ₹3,500/- बरामद किए गए। अ-4 के कब्जे से एक छोटा सूटकेस (अटैची) एवं ₹4,450/- बरामद किए गए।

मोहम्मद यूसुफ अंसारी (अ.स.-2), एन्थ्रेक्स मुंडा (अ.स.-7) एवं गेब्रियल (अ.स.-1) विचारण न्यायालय के समक्ष केवल दो हमलावरों, अर्थात् अनिल प्रसाद (अ-1) एवं तिलेश्वर प्रसाद (अ-2) की ही पहचान कर सके। अतः विद्वान सत्र न्यायाधीश ने उपर्युक्त चक्षुदर्शी साक्ष्यों पर विश्वास करते हुए दो अभियुक्तों (अ-1 एवं अ-2 – वर्तमान अपीलार्थी) को उपर्युक्तानुसार दोषसिद्ध कर दंडित किया, जबकि अन्य अभियुक्तों को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कोचर ने जोरदार तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि चक्षुदर्शी साक्षी विश्वसनीय नहीं हैं; उनके कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता; उन्हें हमलावरों की पहचान करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था; अतः उनके कथनों, विशेषकर अपीलार्थियों की पहचान के आधार पर की गई दोषसिद्धि, विधि की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कोई आरोप विरचित नहीं किया गया था, अतः उक्त धारा के अंतर्गत दोषसिद्धि संभव नहीं है।
4. राज्य की ओर से पैनल अधिवक्ता श्री जे.ए. लोहानी ने उक्त तर्कों का विरोध किया तथा सत्र न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।
5. हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना तथा सत्र न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया।
6. प्रथम प्रश्न यह है कि जब आरोप धारा 396 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोपित किया गया हो, तो क्या धारा 302 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिद्धि संभव है?

7. धारा 396 भारतीय दंड संहिता डकैती के साथ हत्या से संबंधित है। इसमें उपबंध है कि यदि पाँच या अधिक व्यक्तियों में से कोई एक, जो संयुक्त रूप से डकैती कर रहे हों, डकैती करते समय हत्या करता है, तो उन सभी व्यक्तियों को मृत्युदंड या आजीवन कारावास अथवा ऐसे कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकती है, दंडित किया जाएगा तथा वे अर्थदंड के भी भागी होंगे। यहाँ किसी व्यक्ति पर धारा 396 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध का आरोप विरचित किया गया है क्या उस पर धारा 302 भा.दं.सं. के लिए पृथक से आरोप विरचित किये बिना, धारा 302 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है या नहीं, इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***रफीक अहमद उर्फ रफी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2011) 8 एस.सी.सी. 300*** के मामले में विचार किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 62 में यह अवधारित किया कि:-

> **"62.** धारा 396 तथा 302 भा.दं.सं. के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट है कि हत्या का अपराध धारा 396 के उपबंधों में समाहित एवं अंतर्निहित कर लिया गया है। अन्य शब्दों में, धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय तथा धारा 300 में परिभाषित हत्या का अपराध, धारा 396 के अंतर्गत वर्णित अपराधों के उपबंधों में पढ़ा जाएगा। दूसरे शब्दों में, जहाँ किसी उपबंध को भौतिक रूप से उठाकर किसी अन्य उपबंध का भाग बना दिया जाता है, वहाँ वह 'समावेशन द्वारा विधिनिर्माण' के सिद्धांत के क्षेत्र एवं परिधि में आएगा, जो सामान्यतः विद्यमान विधि और नव अधिनियमित विधि के मध्य लागू होता है। धारा 396 में प्रयुक्त 'हत्या' शब्द अपने क्षेत्र एवं परिधि में अनिवार्यतः धारा 300 भा.दं.सं. के अवयवों को समाहित करेगा। हमारे मत में किसी प्रकार की अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं है। उपबंध स्पष्ट हैं और व्याख्या के किसी अन्य सिद्धांत के प्रयोग की अपेक्षा नहीं रखते, सिवाय 'स्वर्णिम व्याख्या सिद्धांत' के, अर्थात् वैधानिक भाषा को उसके संदर्भ में, व्याकरणिक एवं पारिभाषिक रूप से, उसके सामान्य एवं प्राथमिक अर्थ में, बिना किसी विलोपन या परिवर्धन के पढ़ा जाना चाहिए। इन उपबंधों का सामूहिक पठन इस विषय पर संदेह को स्पष्ट कर देता है कि हत्या का अपराध, स्पष्ट भाषा द्वारा, धारा 396 के अंतर्गत अपराधों में सम्मिलित है। इसका वही आशय, अर्थ एवं अवयव होंगे, जो धारा 302 भा.दं.सं. के उपबंधों में अभिप्रेत हैं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. उपर्युक्त उद्धृत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि भले ही धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत हत्या का आरोप पृथक रूप से अभियुक्तों के विरुद्ध विरचित न किया गया हो तथा आरोप केवल धारा 396 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ही विरचित किया गया हो, तब भी अभियुक्तों को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध कर दंडित करने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि हत्या का अपराध स्पष्ट शब्दों में धारा 396 के अंतर्गत वर्णित अपराध में समाविष्ट है, जिसमें दो अवयव होते हैं प्रथम, पाँच या अधिक व्यक्तियों द्वारा डकैती; तथा द्वितीय, डकैती के अपराध के अतिरिक्त हत्या का किया जाना। उपर्युक्त कारणों से, श्री कोचर द्वारा प्रस्तुत तर्क में हमें कोई बल प्रतीत नहीं होता।

9. प्रकरण के गुण-दोष पर आते हुए हम पाते हैं कि तीन चक्षुदर्शी साक्षियों में से यूसुफ अंसारी (अ.स.-2) एवं एन्थ्रेक्स मुंडा (अ.स.-7) आहत साक्षी हैं। उन्होंने घटना का कालक्रमानुसार वर्णन किया है तथा यह कथित किया है कि किस प्रकार दो हमलावर पेट्रोल पंप के शो-रूम में प्रवेश किए, उन्हें एवं मृतक एलेक्ज़ेंडर को चोटें पहुँचाईं तथा किस प्रकार वे उनके कब्जे से समस्त नकद राशि एक बैग में लेकर चले गए। उपर्युक्त दोनों आहत साक्षियों के कथन की पुष्टि गेब्रियल (अ.स.-1) के कथन से होती है। घटना लगभग रात्रि 8:00 बजे घटित हुई। साक्ष्य से यह भी प्रकट होता है कि उस समय टीवी कार्यक्रम (चित्रहार) चल रहा था तथा पेट्रोल पंप पर बिक्री भी जारी थी। अतः पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था थी और साक्षियों को हमलावरों की पहचान करने का पूर्ण अवसर प्राप्त था। यह अभियोजन का मामला नहीं है कि हमलावरों ने अपने चेहरे ढँक रखे थे, जिससे उनकी पहचान संभव न हो। जब किसी व्यक्ति पर अत्यंत निकट दूरी से चाकू से प्रहार किया गया हो, तो वह हमलावरों की पहचान क्यों नहीं कर सकेगा? अभियुक्तों को दिनांक 12.10.1993 को गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 20.10.1993 को उनकी पहचान परेड कराई गई। यद्यपि उपर्युक्त साक्षियों ने पहचान परेड में चार हमलावरों की पहचान की थी, तथापि वे विचारण के दौरान सभी की पहचान नहीं कर सके। उनके साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय में केवल दो हमलावरों, अर्थात् अनिल प्रसाद (अ-1) एवं तिलेश्वर प्रसाद (अ-2) की कटघरे में पहचान की गई। उपर्युक्त चक्षुदर्शी साक्षियों का बचावपक्ष द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया, किन्तु उनकी प्रतिपरीक्षण से ऐसा कोई ठोस तथ्य प्रकाश में नहीं आया जिसके आधार पर उनके कथनों को अस्वीकार किया जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. पहचान परेड स्वयं में सारभूत साक्ष्य नहीं होती तथा इसका मुख्य उद्देश्य अन्वेषण एजेंसी को यह सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करना है कि उनका अन्वेषण सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। पहचान परेड अन्वेषण की प्रक्रिया का एक अंग मात्र है और इसका उपयोग केवल संबंधित साक्षियों के न्यायालयीन कथनों की पुष्टि अथवा खंडन के लिए किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में, दो हमलावरों (वर्तमान अपीलार्थियों) की न्यायालय में की गई कटघरे की पहचान से संबंधित चक्षुदर्शी साक्ष्यों के साक्ष्य से अक्षुण्ण एवं अविचलनीय है। हमारा मत है कि अधीनस्थ सत्र न्यायाधीश ने, प्रकरण के उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में, दो हमलावरों (अपीलार्थियों) को दोषसिद्ध करते हुए तथा अन्य अभियुक्तों को विचारण के दौरान उनकी पहचान न होने के आधार पर दोषमुक्त करते हुए, पूर्णतः न्यायोचित कार्य किया है।

11. उपर्युक्त कारणों के आधार पर, हमें इस अपील में कोई सार या बल प्रतीत नहीं होता। अतः अपीलार्थियों द्वारा दायर यह अपील ख़ारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार ख़ारिज की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

सही/-
श्री सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

**Translated By ANURAG AGRAWAL**